

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08122025-268327
SG-DL-E-08122025-268327असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 367
No. 380]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947	[N. C. T. D. No. 367

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

फा.सं. 6/28/2025—न्यायिक/अधीनविधि/2170—2177.—दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा सुश्री साक्षी सेजवाल को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर योग्यता क्रम में अस्थायी क्षमता पर नियमित पदों के निमित्त दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम आधार पर है तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा उनके जाति प्रमाण पत्र/शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी प्रमाण पत्र, जहाँ भी लागू हो, के सत्यापन के अधीन हैं। यदि सत्यापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी से संबंधित होने का दावा, जैसा भी मामला हो, असत्य है, तो बिना कोई और कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जा सकने वाली ऐसी आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपरोक्त नियुक्ति दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के प्रावधानों और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाले अन्य आदेशों/अनुदेशों के अधीन होगी।
4. इस पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 19 के अनुसार तालिका 1 के स्तर जे-5 में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों का वेतनमान 144840—194660 /— रुपये तथा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य भत्ते दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2025

No. F. 6/28/2025-Judl./Suptlaw/ 2170-2177.—In pursuance of the provisions of Rule 12 of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Ms. Sakshi Sejwal, as member of the Delhi Higher Judicial Service against permanent post in temporary capacity in order of merit on a probation period of two years w.e.f. the date she assumes the charge of her office.

2. The above appointment is on purely provisional basis, and subject to the verification of character and antecedents of the above candidate from the concerned authorities and verification of her caste certificate/PH category certificate, where ever applicable. If the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe or Physically Handicapped category, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the *Bhartiya Nyaya Sanhita*, 2023 for giving false certificate.

3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Higher Judicial Service from time to time.

4. The post carries the scale of pay of members of the Delhi Higher Judicial Service Rs.144840-194660 in level J-5 of Table 1 r/w Rule 20 of Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 plus admissible allowances, as are admissible under relevant Rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.